12

संख्याः– 466 /XXVII(1)/2011

प्रेषक,

आर0सी0 अग्रवाल,
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 08 अगस्त, 2011

विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में समस्त नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये द्वितीय किश्त हेतु धनराशि का तदर्थ अधार पर संकमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार समस्त नगर पालिका परिषदों को चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 की द्वितीय किश्त हेतु तदर्थ आधार पर **₹ 191816000.00 (₹ उन्नीस करोड़ अट्ठारह लाख सोलह हजार मात्र)** संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

(1) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674/XXVII/(1)/2006, दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज

संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगरपालिका/नगर निकाय–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय

(आर0सी0 अग्रवाल)
अपर सचिव।

संख्याः–466 (1)/XXVII(1)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– निदेशक, शहरी एवं नगरीय विकास, 43/6, माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून।
6– निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23–लक्ष्मी रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी जैसी भी स्थिति हो।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10– एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

8/9/14
(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव।

,शासनादेश संख्याः 466 /XXVII (i)/2011
दिनांकः 08 :अगस्त, 2011 का संलग्नक।

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याक्षा में नगर पालिका परिषदों को वितीय वर्ष 2011–12 हेतु तदर्थ रूप से द्वितीय किश्त हेतु संकमण।

(धनराशि हजार में)

क0सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	द्वितीय त्रैमासिक किश्त
1	2	3
नगर पालिका परिषदें		
1	उत्तरकाशी	7494
2	जोशीमठ	5678
3	चमोली / गोपेश्वर	7362
4	नई टिहरी	8508
5	नरेन्द्र नगर	1755
6	मसूरी	21945
7	विकासनगर	2099
8	ऋषिकेश	9831
9	कोटद्वार	6489
10	श्रीनगर	3659
11	पौड़ी	8826
12	टनकपुर	2822
13	रामनगर	4620
14	नैनीताल	12141
15	जसपुर	5017
16	काशीपुर	11048
17	बाजपुर	2663
18	गदरपुर	2522

क0सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	द्वितीय त्रैमासिक किश्त
19	रूद्रपुर	17352
20	किच्छा	4144
21	सितारगंज	3254
22	खटीमा	3342
23	रूड़की	11250
24	मंगलौर	3395
25	पिथौरागढ़	10201
26	अल्मोड़ा	5608
27	बागेश्वर	2716
28	रूद्रप्रयाग	4673
29	दुग्गड्डा	591
30	भवाली	811
योग		**191816**

(₹ उन्नीस करोड़ अट्ठारह लाख सोलह हजार मात्र)

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव।